

कार्यालय उच्च मंडल शिक्षा अधिकारी पलवल : परीक्षावाद :

आदेश क्रमांक ई-2-93 / 4017-20
दिनांक 24-9-93

विषय :- बौद्धानिक वर्ष 1993-94 में अस्थाई गान्यता जारी करने बारे ।

-XXXXX-

निम्नलिखित अराजकीय विद्यालयों को बौद्धानिक वर्ष 1993-94 के लिये अस्थाई गान्यता निम्न अंकित शर्तों पर **श्रेणी-4** तार प्रदान की जाती है ।
क्रमांक अराजकीय विद्यालय का नाम शर्तों के तहत अस्थाई गान्यता के लिये अस्थाई गान्यता दी गई है ।

निशान्त बहिष्कृत राष्ट्रीय
विद्यालय रासुपुर रोड पलवल । पलली से आठवीं तक 1993-94

- अंकित शर्तें
- 1- विद्यालय में अध्यापक ट्रेन्ड लगये जाये ।
 - 2- विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का वेतन बकाया तय किया जाये ।
 - 3- विद्यालय में तराज/विभाजित द्वारा अनुमानित कुतबे तयाने जाये ।
 - 4- अध्यापकों के छः मास के वेतन के अभाव की शर्तों के अभाव शिक्षा अधिकारी परीक्षावाद के तहत प्रकाश कराई जाये ।
 - 5- छात्रों को शीत और गर्म के सही ढंग से रखे जाये ।
 - 6- विद्यालय में तम्बाकी प्रयोग के रजिस्टर विभागीय नियमानुसार तैयार रखे जाये ।
 - 7- विद्यालय में दाखले रजिस्ट्रार के आधार पर ना लिये जाये ।
 - 8- विद्यालय में डोल की व्यवस्था की जाये ।
 - 9- खूबान जोड की धारा 214 का अन्त करते हुये नियुक्तियां रोजगार कार्यालय द्वारा की जाये । और हरियाणा जोड की धारा 222 का शर्त उल्लंघन ना करते हुये स्वीकृत को में आरम्भित तबों का ध्यान रखा जाये ।

उच्च मंडल शिक्षा अधिकारी
पलवल ।

सूचना क्रमांक -स-2

इसकी प्रति निम्नलिखित सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षावाद ।
- 2- निदेशक मैजिस्ट्री शिक्षा हरियाणा पन्डीगढ ।
- 3- निदेशक हरियाणा विद्यालय शिक्षा जोडें शिक्षा
- 4- मुख्य अध्यापक निशान्त बहिष्कृत राष्ट्रीय विद्यालय रासुपुर रोड पलवल ।

Secretary

Nishant Public School
Rasulpur Road, New Ext. Colony
Palwal (Hr) 121102 M - 9254320022
20/06/2023

Principal
Nishant Public School
Palwal (Hr) 121102

उच्च मंडल शिक्षा अधिकारी
पलवल ।

24/9/93